UPLK010065332026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं.–1, लखनऊ

उपस्थितः **हुसैन अहमद अंसारी** एच0जे0एस0आई0डी0 नं0–यूपी–6158

<u>प्रतिभू प्रार्थना पत्र संख्या–3151/2026</u>

आयुष सिंह उम्र लगभग 22 वर्ष, पुत्र दिलबहादुर सिंह, निवासी–14ए/14बी, शिवाजीपुरम्, थाना–गोमतीनगर लखनऊ।

.....

आवेदक/अभियुक्त

–––––बनाम–––––

उत्तर प्रदेश सरकार .....विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–469/2024
अंतर्गत धारा–309(6),317(2)बीएनएस,
थाना– गोमतीनगर, जनपद– लखनऊ।

<u>दिनांक–01.6.2026</u>

आवेदक/अभियुक्त आयुष सिंह को जमानत पर निर्मुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर उसके सुयोग्य अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से सुयोग्य सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप्तः अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि, प्रश्नगत मामले की वादिनी मुकदमा श्रीमती विनोद राय के द्वारा दिनांक–21.9.2024 को सम्बन्धित थाने पर इस आशय की लिखित सूचना दी गई कि, ''वह दिनांक 20.09.2024 को समय लगभग 09.45 पी.एम. पर पत्रकारपुरम से अपने घर 4/7 विराम खण्ड 4 गोमतीनगर, ई–रिक्शा से ग्वारी चौराहे पर उतर कर पैदल घर की तरफ जा रही थी, जैसे ही वह अपने घर के सामने थोड़ा पहले सड़क क्रॉस कर रही थी तभी अचानक मेन रोड की तरफ से एक बाइक, जिस पर तीन लोग सवार थे, आये और जबरदस्ती वादिनी का पर्स छीनकर उसे चोट पहुंचाई और एक व्यक्ति ने मारा और कैश पर्स छीन लिया और वादिनी वहीं सड़क पर गिर गयी, उसके दाहिने हाथ में चोट लगी। गर्दन पर भी चोट लगी हाथ से खून निकला, तीनों बाइक सवार जबरदस्ती पर्स छीनकर भाग गये। पर्स में मेरा सैमसंग का गैलेक्सी मोबाइल फोन ब्लैक कलर, आधार कार्ड, दो पर्सनल डायरी छोटी ब्राउन, यल्लो कलर का था इनहहपज बव. का था। आस–पास के काफी लोग आ गये उनमें से किसी ने अपने मोबाइल फोन से 112 को कॉल किया पुलिस मौके पर आ गयी और पूछताछ किया और सभी से पूछा वारदात के बारे में घटनास्थल पर फिर बाद में सिविल हॉस्पिटल में वादिनी ने अपना मेडिकल कराया। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।''

वादिनी मुकदमा की सूचना के आधार पर सम्बन्धित थाने में बाइक सवार तीन अभियुक्तगणके विरूद्ध धारा–309(6)बी0एन0एस0 के तहत अपराध के

सम्बन्ध में मु0अ0सं0–469/2024 दर्ज किया गया। विवेचना अमल में लायी गई।

दौरान विवेचना दिनांक–11.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्त व सह अभियुक्तगण को सहारा ओवर ब्रिज के पास गिरफ्तार किया गया और आवेदक/अभियुक्त के पास से 1100/रू बरामद हुए हैं। पूछने पर आवेदक/अभियुक्त ने मामले का प्रकटीकरण किया। तत्पश्चात धारा–317(2)बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

जमानत प्रार्थना पत्र में आवेदक/अभियुक्त की ओर से यह कथन किया गया है कि उसे पुलिस द्वारा मात्र गुडवर्क दिखाने हेतु मामले में झूठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह कानून का पालन करने वाला व्यक्ति है। उसका कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। वह दिनांक 12.11.2024 से जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध है, वह अपनी विश्वसनीय जमानतें देने को तैयार है, वह अपनी जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा, अतः उसे जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर वादिनी मुकदमा का पर्स छीनकर भागने व छिनैती किये गये माल की बरामदगी होने का अभियोग है। प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है। दौरान विवेचना फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया। फर्द बरादमगी व गिरफ्तारी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियुक्त दिनांक 12.11.2024 से जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध है। मामले में सह–अभियुक्तगण की जमानत स्वीकृत की जा चुकी है।

मामले के उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता, प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की प्रकृति एवं उसकी अभिरक्षा की अवधि को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, मैं आवेदक/ अभियुक्त आयुष सिंह को जमानत पर निर्मुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार पाता हूॅ।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त आयुष सिंह को उसके द्वारा रू0 30,000/–रूपये के स्वयं बन्धपत्र एवं इतनी ही धनराशि की एक प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करने पर जमानत पर र्निमुक्त किया जाये।

<u>दिनांक–01–06–2026</u>

(हुसैन अहमद अंसारी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0–1, लखनऊ।
आई0डी0 नं0–यूपी–6158